महत्वपूर्ण /ई-मेल से भी प्रेषित

पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC Comp.(S/W)-(2014-15) / 754/141507 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // दिसम्बर, 30, 2014

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)**
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC Comp.(S/W)-(2013-14)/ 628 / वाणिज्य कर दिनॉक 29-08-2013 में यह उल्लेख किया गया था कि Goods & Services Tax Network की ओर से GSTIN हेतु कार्य कर रही संस्था सर्वश्री NSDL द्वारा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत एवं क्रियाशील व्यापारियों के **PAN (Parmanent Account Number)** का विश्लेषण करने पर मात्र 46% व्यापारियों के PAN सत्यापन के बाद सही पाये गये हैं। पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि GST को देश में सुगमता से लागू करने हेतु व्यापारियों की पहचान करने तथा GSTIN जारी करने के लिए PAN सम्बन्धी आंकड़ों को प्राथमिकता के आधार पर सही कराते हुए सत्यापित कराया जाये।

2- उक्त सन्दर्भ में मुख्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-900 दिनांक 18-01-2011 तथा पत्र संख्या-724 दिनांक 02-12-2011 के क्रम यह भी अवगत कराया गया था कि कतिपय व्यापारियों द्वारा PAN उपलब्ध नहीं कराये जाने / त्रुटिपूर्ण उपलब्ध कराये जाने तथा कतिपय व्यापारियों के उपलब्ध कराये गये PAN का मिलान CBDT के डाटाबेस से नही हो पा रहा है।

3- उपरोक्त के क्रम में उक्त पत्र दिनॉक 29-08-2013 में यह निर्देश दिये गये थे कि दिनॉक 01-09-2013 से 30-09-2013 तक के मध्य जो भी प्रपत्र दाखिल होंगे उनकी पावती रसीद पर PAN दाखिल न होने या त्रुटिपूर्ण होने का संदेश अंकित हो जायेगा। ऐसे व्यापारी 30-09-2013 तक अपने PAN की स्व सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए उसकी रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। व्यापारी सहायता केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित PAN की प्रविष्टि व्यापारी के अभिलेखों में PAN की फील्ड में तत्काल अंकित कर दी जाये।

4- उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन की समय सीमा दिनॉक 31-10-2013 तक बढ़ाये जाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाहियॉं नही किये जाने की दशा में पुन: पत्र संख्या-आई0टी0-ई-रजिस्ट्रेशन-(2014-15) / 299 / वाणिज्य कर, दिनॉक 11-07-2014 द्वारा यह सूचित किया गया कि NIC द्वारा PAN से सम्बन्धित सम्भागवार PAN की सूचियॉं ई-मेल से प्रेषित की गयी हैं जिनमें फार्म-7, फार्म-7G तथा TDN के साथ उपलब्ध कराये गये PAN यद्यपि Structured हैं किन्तु PAN नम्बर फर्जी है तथा एक ही PAN नम्बर पर अधिसंख्य फर्मे पंजीकृत हैं जिनके कतिपय उदाहरण उक्त पत्र दिनॉक 11-07-2014 में भी अंकित किये गये हैं। सन्दर्भित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि NIC द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में कतिपय व्यापारियों के PAN अंकित ही नही हैं। अत: उक्त पत्र दिनॉक 11-07-2014 में एक ही PAN पर पंजीकृत फर्मो के सम्बन्ध में आयकर विभाग से सही फर्म की जानकारी प्राप्त कर वास्तविक फर्म को छोड़कर फर्जी फर्मो के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ जिन व्यापारियों द्वारा अभी तक PAN की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल नही की गयी है, उनके भी PAN नम्बर की स्व प्रमाणित प्रति दाखिल कराये जाने की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनॉक 31-08-2014 तक पूर्ण करने की अपेक्षा की गयी थी।

G.M.

5- खेद का विषय है कि मुख्यालय के अनवरत रुप से प्रभावी कार्यवाहियाँ कराये जाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस दिशा में कार्यवाही पूर्ण नही की गयी है। सर्वश्री NSDL द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में PAN सत्यापन की जो अद्यातन सूचना उपलब्ध करायी गयी है वह निम्नवत् है :-

Sl. No.	Perticulars	No. of Dealers
1	Active dealer records	7,07,672
2	Active dealers where PAN not provided or Structurally Invalid	1,21,926
3	Active dealer records having Structurally valid PAN	5,85,746
4	Count of Active dealerswhere PAN is not present in CBDT	58,576
5	PAN for Active dealers records present in CBDT database	5,27,170
6	Active dealers where PAN is present in CBDT database but dealer name does not match with name as per CBDT database	98,711
7	Active dealers where PAN is present in CBDT database and dealer name match / soundex match with name as per CBDT database	4,28,459 **(60.54%)**

6- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अभी तक मात्र 60.54% PAN सत्यापित पाये गये हैं। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। आप अवगत हैं कि निकट भविष्य में GST लागू किये जाने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत पंजीयन संख्या (GSTIN) जारी करने के लिए PAN सम्बन्धी आंकड़ों का सत्यापित होना आवश्यक है। इस लिये इस दिशा में तत्परता से कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य है।

इस संबंध में NSDL द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण को ई-मेल से आपको प्रेषित किया जा रहा है। इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जातें हैं कि दिनांक 15.01.2015 तक मैनुअली जारी होने वाली रसीदों तथा आन लाइन Acknowledgemernt पर PAN दाखिल न होने या वैध न होने का निम्न संदेश स्वत: अंकित हो जायेगा तथा इसकी सूचना एस0एम0एस0 तथा ई-मेल के माध्यम से व्यापारी को चली जायेगी :-

" आप द्वारा PAN प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत PAN वैध नहीं है। अत: दिनांक 15.01.2015 से पूर्व अपने PAN CARD की स्व: प्रमाणित छाया प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र पर प्रस्तुत करते हुये रसीद प्राप्त कर PAN अपडेट करायें। यदि निर्धारित तिथि तक आप द्वारा अपना PAN अपडेट नहीं कराया जाता है तो फर्म की समस्त आनलाइन सुविधायें, विभागीय फार्म प्राप्त करने की सुविधा एवं रसीदे ब्लाक हो जायेंगी एवं पंजीयन भी निलम्बित हो सकता है।"

ऐसे व्यापारी दिनांक 15.01.2015 के पूर्व अपने PAN CARD की स्वप्रमाणित छाया प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र पर प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करेंगे। रसीद जारी करने वाले कर्मचारी द्वारा रसीद जारी करने के पूर्व Vyas पर तत्काल संबंधित कालम में सही PAN की प्रविष्टि की जायेगी। यह सूचना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के LOGIN पर Editable Mode में उपलब्ध होगी। अधिकारी द्वारा Self Attested Copy प्राप्त होने के बाद Vyas पर Approve करने के उपरान्त डाटाबेस में सही PAN अंकित हो जाएगा। व्यापारी द्वारा विभागीय वेबसाइट **http://comtax.up.nic.in** पर Dealer Search के माध्यम से अपने PAN की स्थिति ज्ञात की सकती हैं।

संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के LOGIN पर व्यास सेन्ट्रल के Main menu में disposal option में Update PAN or TAN के sub-option पर संबंधित डिफाल्टर व्यापारियों से संबंधित रसीद नम्बर ड्रापडाउन में उपलब्ध रहेगें । ड्राप डाउन में उपलब्ध रसीद नम्बर का चयन करके संबंधित PAN को update किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा update करने के पश्चात् ही व्यापारी के डेटाबेस में PAN परिवर्तित होगा । यदि व्यापारी सुविधा केन्द्र में कर्मचारी द्वारा PAN की गलत entry कर दी गयी है तो कर निर्धारण अधिकारी Reset के बटन पर click करके सही PAN नम्बर अंकित कर सकते हैं । कर निर्धारण अधिकारी एवं सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर द्वारा दैनिक रुप से तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा साप्ताहिक रुप से PAN UPDATION का अनुश्रवण किया जायेगा।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यदि निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2015 तक व्यापारी द्वारा अपना PAN अपडेट नहीं कराया जाता है तो उनकी फर्म की समस्त आनलाइन सुविधायें जैसेकि- e-return, e-संचरण, e-फार्म, e-amendment आदि, मैनुअली विभागीय फार्म प्राप्त करने की सुविधा एवं रसीदे ब्लाक हो जायेंगी एवं पंजीयन भी निलम्बित हो सकता है।

उक्त कार्य प्राथमिकता से सम्बन्धित है । अत: इस दिशा में सभी अधिकारी अपने अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों को PAN के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रेरित करते हुए व्यापारिक संगठनो एवं अधिवक्ता संघों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें । यह कार्य व्यक्तिगत रुचि लेकर निष्पादित कराना सुनिश्चित करें ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के कम में जारी किया जा रहा है।

S. Tripathi 30.12
(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।
(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।
(11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
(30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
(32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(36) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।
(37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
(39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(43) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगली,चौक,वाराणसी।
(46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(47) श्री ब्रिज चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(51) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(56) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(58) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय संगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पंजी0)-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ।

(59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,। यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।

(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद

(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, विल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।

(79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स ,आर - 13/24, राजनगर , गाजियाबाद ।

(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।

(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष,/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

(82) श्री संजय कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स, सिंघानिया भवन, हुमायुँपुर दक्षिणी दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर ।

S. Tripathi 30/12
(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ